झारखण्ड सरकार
झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
नामकुम, राँची
फोन नं0– 2261000, 2261002 & 2261856, Email : mdnrhmjharkhand@gmail.com

पत्रांक : IDSP/COVID-19/07-2021 - 141(HSN) दिनांक : 31/03/2021

प्रेषक,

कमल किशोर सोन,
सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड राज्यान्तर्गत।

**विषयः कोविड–19 के प्रसार को रोकने, बचाव एवं रोकथाम हेतु दूसरे राज्यों से आनेवाले व्यक्तियों की कोविड–19 जाँच अनिवार्य रूप से करने के संबंध में।**

**प्रसंगः** पत्रांक–109 (HSN) दिनांक–09.03.2021, पत्रांक–116 (HSN) दिनांक–17.03.2021, पत्रांक–122 (HSN) दिनांक–22.03.2021, पत्रांक–136 (HSN) दिनांक–26.03.2021, पत्रांक–94(HSN) दिनांक–26.02.2021 एवं पत्रांक–542 (MD) दिनांक–20.02.2021

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माह–मार्च, 2021 के मध्य से राज्य में पुनः कोविड–19 संक्रमित मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि परिलक्षित हो रही है। दिनांक 31.03.2021 तक राज्य में एक्टिव संक्रमित मामलों की संख्या–2254 प्रतिवेदित है। कोविड–19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु समुचित सघन निगरानी, Contact Tracing के साथ कोविड–19 जाँच हेतु दूसरे राज्यों से आनेवाले व्यक्तियों का कोविड–19 जाँच किया जाना अनिवार्य है। कोविड–19 संक्रमण को रोकने के लिए "Test, Trace, Treat" की रणनीति पर कार्य करते हुए कोविड–19 समुचित व्यवहार का अनुपालन प्रचार–प्रसार के माध्यम से करना सुनिश्चित किया जाय।

अतः अनुरोध है कि दूसरे राज्यों से आनेवाले व्यक्तियों की कोविड–19 की जाँच करने हेतु राँची एयरपोर्ट, राँची/हटिया, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, चक्रधरपुर तथा अन्य रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैण्ड पर कोविड–19 नमूना संग्रह व्यवस्था नियमित रूप से करना तथा कोविड–19 संक्रमण के पुष्टि होने की स्थिति में सक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले कम–से–कम 30 Contacts को पहचान कर उनकी त्वरित जाँच तथा ईलाज हेतु व्यवस्था करना सुनिश्चित की जाय।

कोविड–19 जाँच हेतु सैम्पल प्राप्त करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को अनिवार्य रूप से जाँच परिणाम प्राप्त होने तक Home Isolation का भी सुझाव देना सुनिश्चित करेंगे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

**अनुलग्नक** : यथाक्त।

विश्वासभाजन
31/03/2021
(कमल किशोर सोन)
**सचिव**

ज्ञापांकः IDSP/COVID-19/07-2021 - 141(HSN) दिनांक : 31/3/2021

**प्रतिलिपि** :

1. मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

31/03/2021
(कमल किशोर सोन)
**सचिव**

**अपना मास्क सही से लगाना है, कोरोना को हराना है!!**

झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, नामकुम रांची
फ़ोन नं०- 2261000,2261856-2261002 मेल आई ०डी०- nrhmjharkhand3@gmail.com

पत्रांकः- 109(HSN) दिनांकः- 09.03.21

प्रेषक,

सचिव,
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं
परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची

सेवा में,

सभी उपायुक्त।
झारखण्ड राज्य अन्तर्गत

**विषयः**— कोविड—19 के RT-PCR/True NAT द्वारा जाँच हेतू उचित नमूना संग्रह तथा सघन निगरानी करने के संबंध में।

प्रसंगः— सचिव, स्वास्थ्य, भारत सरकार के पत्रांक सं0 D.O No. 28015/65/2020 – EMR, दिनांक 26.02.2021 एवं D.O No. 28015/3/2020/EMR दिनांक 01.02.21 तथा अधोहताक्षरी का पत्रांक संख्या 94(HSN) दिनांक 26.02.21 एवं पत्रांक संख्या 294(MD) दिनांक 21.01.21 तथा 542(MD) दिनांक 20.02.21.

महाशय/महाशया,

उपरोक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में सूचित करना है विगत दिनों में कतिपय राज्यों यथा—केरला, महराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, छतीसगढ में Covid-19 के संक्रमण की वृद्वि के परिपेक्ष्य में राज्य में कोविड—19 संक्रमण के नियंत्रण हेतु समुचित Surveillance, Contact tracing तथा जांच की आवश्यकता है। कतिपय जिलों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि Covid-19 के RT-PCR जाँच हेतु Toll Plaza से गुजरने वाले सभी व्यक्तियों का नमूना एकत्र कर जाँच हेतु सरकारी RT-PCR प्रयोगशाला में नमूने भेजा गया है जो Surveillance Guidelines तथा Testing Samples directives के अनुरूप नहीं है।

अतः RT-PCR/True NAT के माध्यम से जाँच के लिए अपने जिले के ऐसे प्रक्षेत्र का प्राथमिकता के आधार पर चिन्हितीकरण किया जाए (Block एवं Municipal Ward) जहाँ विगत 30 दिनों में Covid-19 संक्रमण के मामले प्रकाश में आये हो एवं तदनुसार निम्नांकित प्राथमिकता को लक्ष्य बनाया जायेः—

1. सभी जिला अन्तर्गत सभी जिला अस्पताल, अनुमण्डल अस्पताल, CHC में OPD मरीजों जिनमें COVID के लक्षण प्रारंभिक तौर पर स्पष्ट रूप से पाया जाता है अथवा SARI/ILI के मामले पाये जाते है, तो उनका Covid जाँच अनिवार्य रूप से किया जाय।
2. दूसरे राज्य (केरला, महराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, छतीसगढ़)से आये हुए व्यक्तियों तथा उनके सम्पर्क में आये हुए व्यक्तियों की travel history, Contact tracing तथा symptoms के आधार पर उनका Covid-19 की जाँच हेतु नमूना एकत्रित किया जाय।
3. प्रत्येक चिन्हित् केन्द्र पर सामाजिक दूरी एवं COVID उपयुक्त व्यवहार से संबंधित प्राप्त दिशा निदेश के आलोक में Public Places तथा भीड़—भाड़ वाले जगह पर COVID उपयुक्त व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
4. Covid-19 के "Test, Track and Treat" strategy का अनुपालन किया जाय।
5. Containment Zone में भी ILI/ SARI संदिग्ध मरीजों का नमूना एकत्र कर जाँच हेतु भेजा जाय।
6. Covid-19 के एक मरीज Positive पाये जाने के उपरान्त उनके 30 संभावित Contacts को पहचान कर उनकी तत्काल जाँच सुनिश्चित की जाय।

झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, नामकुम रांची
फ़ोन नं०- 2261000,2261856-2261002 मेल आई ०डी०- nrhmjharkhand3@gmail.com

7. पूर्व में दिये गये कोविड 19 के जांच (RT-PCR and TrueNat) का प्रतिदिन लक्ष्य के अनुसार जांच में गति लायी जाय। भारत सरकार के मार्गदर्शिका के अनुसार अपने जिलें में कुल जांच का 70 प्रतिशत जांच RT-PCR के माध्यम से किया जाय।
8. Immuno-Compromised & High Risk Patients (HIV, Dialysis, TB, Cancer Patients, heart & kidney diseases) वाले व्यक्तियों का database तैयार कर नियमित जाँच किया जा सकता है।
9. सप्ताह में एक दिन वैसे Immuno Compromised & High Risk मरीजों की जाँच की जाय जो व्यक्ति हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह, किडनी रोग, तपेदिक इत्यादि बीमारी से ग्रसित है। उक्त के लिए प्रत्येक टीम अपने आंवटित क्षेत्र में वैसे व्यक्तियों की पूर्व से डाटा Base तैयार रखेगें ताकि Testing के लिए निर्धारित तिथि में उनको आमंत्रित कर सुलभ तरीके से जाँच कराया जा सके। जिला NCD प्रभारी वैसे मरीजों की सूची प्रत्येक टीम को उपलब्ध करायेगें।
10. अन्य महत्वपूर्ण समूह जो प्रतिदिन बहुसंख्यक सम्पर्क में आते है, यथा– Driver, Bank Staff, Front desk workers, Post office Personal कर्मी Private Courier, Food Deliver workers, होटल स्टॉफ, औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक, नगर पालिका कर्मी, वाह्य सपलायर, सैनिटाइजर कर्मी, हाट बाजार, सब्जी बाजार, Street Vendors, मंडी बाजार, एयरपोर्ट, रेलवे में कार्यरत कर्मी का भी जाँच भी प्राथमिकता के आधार पर की जा सकती है।
11. स्लम एवं स्लम जैसी बस्तियों, हाट बाजार इत्यादि में भी वैसे अवस्थित लोगों का VAN के माध्यम से कैम्प कराकर जाँच हेतू Sample Collection की व्यवस्था की जा सकती है।
12. Covid Testing हेतु व्यक्ति की पूर्ण वांछित जानकारी प्राप्त कर उसकी SRF ID generate करने के बाद sampling किया जाना है एवं RT-PCR apps की प्रविष्टि करने के उपरान्त SRF ID generate करना अनिवार्य है।
13. निबंधन के समय व्यक्ति का सम्पूर्ण पता की जानकारी एवं मोबाईल नं० को भी सत्यापित किया जाय।
14. उपरोक्त कार्य हेतु जिला प्रशासन अपने माध्यम से Medical Team सह Collection Team में आवश्यकतानुसार कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर सकती है।
15. जिले में कार्यशील सभी स्वयं सहायता समूह को कोविड 19 जाँच की व्यापकता बढ़ाने तथा आमजनों में जागरूकता लाने हेतु NGO/NSS/NYK/NCC इत्यादि के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराया जा सकता है। उक्त कार्य के लिए सिविल सर्जन से समन्वय स्थापित कर प्रचार–प्रसार सामग्री प्राप्त करते हुए प्रसार प्रचार की व्यवस्था की जा सकती है।
16. मुहल्ला/ टोला, बस्ती आदि के प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा बुद्धिजीवि नागरिकों तथा समाजसेवी से सम्पर्क कर आमजन में प्रेरित करने की जरूरत है। इसके लिए आवंटित मेडिकल टीम अपने आंवटित क्षेत्र के Ward Counsellors एवं स्थानीय प्रतिनिधि से सहयोग प्राप्त कर जाँच हेतु निर्धारित तिथि के पूर्व वैसे लोगों का आमंत्रित करे ताकि सौहार्दपूर्ण माहौल में अधिक संख्या में लोग जाँच के लिए स्वेच्छा से केन्द्र पर आये।

अतः निदेशित हैं कि उक्त कार्य के निष्पादन एवं जाँच को त्वरित गति देने के लिए सभी जिला अन्तर्गत टीम का क्षेत्रवार गठन एवं उनके निहित दायित्व तय करते हुए आवश्यक योजना बनाकर COVID-19 की जाँच करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

(सचिव)

झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, नामकुम रांची
फ़ोन नं०- 2261000,2261856-2261002 मेल आई ०डी०- nrhmjharkhand3@gmail.com

ज्ञापांकः 109 (HSN) दिनांकः 09.03.21

प्रतिलिपिः–

1. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सभी सिविल सर्जन, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(सचिव) 08/03/2021

झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, नामकुम रांची
फ़ोन नं0- 2261000,2261856-2261002 मेल आई 0डी0- nrhmjharkhand3@gmail.com

पत्रांकः 116(HSN) रॉंची, दिनांकः 17/03/2021

प्रेषक,

कमल किशोर सोन,
सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

विषयः– दिनांक 18 मार्च, 2021 से राज्य में कोविड समुचित व्यवहार (Covid Appropriate Behaviour) संबंधित जागरूकता अभियान के अन्तर्गत Mask Checking किये जाने के संबंध में।

प्रसंगः– पत्रांक सं0 396(HSN), दिनांक–3.11.2020 एवं पत्रांक सं0 268(HSN),दिनांक–21.04.2020 पत्रांक सं0–05/रा0 आ0 मो0 नि0 (कोविड–19)–04/2020/आ0 प्र0 (खंड 1)–3145 दिनांक–15.10.2020

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कोविड–19 की रोकथाम हेतु Public Health Response to Covid-19 Campaign for COVID Appropriate Behaviour के अन्तर्गत Intensive & focussed covid-19 campaign on unlock with Precautions : Jharkhand Communication अभियान पूरे राज्य में चलाया जा रहा है।

अतः उक्त के आलोक में निदेशित है कि दिनांक 18 मार्च, 2021 से कोविड समुचित व्यवहार संबंधित अनुपालन हेतु विशेष Mask Checking अभियान चलाना सुनिश्चित करेगें। अभियान के दौरान आम नागरिकों द्वारा Mask/फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में नियमानुसार कारवाई सुनिश्चित करते हुए COVID Appropriate Behaviour के संबंध में समुचित IEC तथा व्यापक प्रचार–प्रसार भी सुनिश्चित किया जाय। इस अभियान को नियमित रूप से संचालित करेंगे ताकि कोविड–19 के संक्रमण से बचा जा सके । आगामी पर्व/त्योहारों को भी ध्यान में रखकर इस संबंध में ससमय समुचित कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है ।

अनुरोध है कि कृत कारवाई से पत्र के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा करेगें।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन
17/03/2021
(कमल किशोर सोन)
सचिव।

ज्ञापांकः 116(HSN) राँची, दिनांकः 17/03/2021

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

17/03/2021
(कमल किशोर सोन)
सचिव।

विहिप प्रपत्र (मास्क/फेस कवर जाँच अभियान)

| क्र0 सं0 | जिला | विशेष मास्क जाँच अभियान टीम दल की संख्या। | मास्क/फेस कवर जाँच की संख्या(कुल व्यक्ति) | बिना मास्क के पकड़े जाने वाले व्यक्तियों की संख्या। | बिना मास्क के पकड़े गये व्यक्तियों के विरूद्ध कारवाई की अभियुक्ति। | **COVID Appropriate Behaviour** हेतु **IEC** की विवरणी। |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, नामकुम रांची
फ़ोन नं०- 2261000,2261856-2261002 मेल आई ०डी०- nrhmjharkhand3@gmail.com

पत्रांकः 122(HSN) दिनांकः 22/03/2021

प्रेषक,

कमल किशोर सोन,
सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

**विषयः—** **कोविड–19 के प्रसार को रोकने, वचाव, रोकथाम जांच तथा इलाज हेतु केन्द्रित (Focussed) सघन निगरानी (Intensified Surveillance) का कार्य करने के संबंध में।**

प्रसंगः— पत्रांक सं0 109(HSN), दिनांक–3.11.2020

महाशय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में सूचित करना है कि विगत दिनों में झारखण्ड राज्य में कोविड–19 के संक्रमित की लगातार वृद्धि देखी जा रही है। कोविड–19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु समुचित सघन निगरानी, Containment Zone/ Micro- Containment Zone के निर्माण तथा Contact Tracing के साथ कोविड–19 जांच हेतु विशेष जांच अभियान की आवश्यकता हैं।

अतः उक्त के आलोक में कार्य योजना बनाकर कोविड–19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु निम्नांकित कार्य करना सुनिश्चित करेगें–

1. कोविड–19 के बचाव व रोकथाम हेतु सघन निगरानी तथा Contact Tracing गतिविधियों की उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में केन्द्रित किया जाय।
2. जिलों तथा प्रखण्डों में प्रतिदिन संसूचित होने वाले कोविड–19 संक्रमण के पुष्ट रोगियों की मैपिंग की जाय तथा ऐसे क्लस्टर चिन्हित किये जाएं जहॉ से कोविड–19 के अधिक रोगी सूचित हो रहे हों तथा इन चिन्हित क्षेत्रों में केन्द्रीकृत सघन निगरानी तथा Contact Tracing गतिविधि की जाय। यहाँ क्लस्टर का अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से है, जहाँ 50 मीटर की परिधि में 24 घंटा में पृथक–पृथक आवासों में तीन से ज्यादा केस संसूचित हुए हैं। ऐसे प्रत्येक क्लस्टर में न्यूनतम 100 आवासों का स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा भ्रमण कर सर्विलेंस तथा Contact Tracing किया जाय तथा एकल केस हेतु न्यूनतम 50 आवासों का भ्रमण कर Contacts को पहचान कर सर्विलेंस गतिविधियाँ की जाय।
3. साथ ही, इन क्षेत्रों में रोगियों के आस–पास के ऐसे क्षेत्र जहाँ बड़ी संख्या में जनसमुदाय का आवागमन होता है यथा दूध की दुकान, राशन की दुकान, मार्केट एरिया में भी सर्विलेंस की गतिविधियाँ की जाय तथा लक्षण युक्त व्यक्तियों को चिन्हित कर इनकी सूची सेम्पलिंग हेतु सेम्पलिंग टीम को उपलब्ध करायी जाय।
4. उपरोक्त चिन्हित क्षेत्रों में सर्विलांस गतिविधि में पाए गए सभी लक्षण युक्त व्यक्ति जिनमें खाँसी, बुखार अथवा सांस लेने में कठिनाई के लक्षण पाए गए हो, की कोविड–19 रोग हेतु एंटीजन जाँच चिन्हीकरण के 24 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से करा ली जाय तथा इस जांच के साथ ही सभी लक्षणयुक्त व्यक्तियों की आर0टी0पी0सी0आर0 जाँच हेतु भी सैंपल अनिवार्य रूप से लिया जाए। एंटीजन टेस्ट के धनात्मक आने की स्थिति में आर0टी0पी0सी0आर0 सैंपल नियमानुसार डिस्कार्ड कर दिया जाएगा तथा ऋणात्मक आने की स्थिति में इस सैंपल को संबंधित प्रयोगशाला में आर0टी0पी0सी0आर0 द्वारा जाँच हेतु प्रेषित किया जाएगा।

22/3/2021

5. संपर्क में आने वाले सभी लक्षणयुक्त Contacts की एंटीजन टेस्ट 24 घंटे के अंदर कराने हेतु उनका आर0टी0पी0सी0आर0 जाँच हेतु सैंपल भी अनिवार्य रूप से लिया जाय।
6. इस कार्य हेतु उपायुक्त जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी नियुक्त करेंगे तथा चुनाव की भांति प्रत्येक नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु कर्मचारी चिन्हित कर सर्विलांस तथा Contact Tracing टीम में तैनात कर उनका पूर्व प्रशिक्षण करा कर सघनता तथा नियमित अनुश्रवण के साथ गतिविधियों को संपादित करवाएंगे। इस हेतु आवश्यकतानुसार अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी सर्विलांस तथा Contact Tracing टीमों में तैनात किया जाएगा।
7. सभी कोविड धनात्मक व्यक्तियों की होम आइसोलेशन हेतु पात्रता जांचने तथा को–मोर्बिडिटी इत्यादि का स्टेटस पता करने हेतु रैपिड रिस्पांस टीम, जिनमें अनिवार्य रूप से एक चिकित्सा अधिकारी भी सम्मिलित होंगे, के द्वारा धनात्मक रिजल्ट प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदर धनात्मक रोगी का गृह भ्रमण कर लिया जाए तथा होम आइसोलेशन की पत्राता अथवा अपात्रता के आधार पर फैसिलिटी अथवा होम आइसोलेशन allocate किया जाए। इस हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गए प्रपत्र का प्रयोग किया जाय तथा आर0टी0पी0सी0आर0 एप्प में जाँच संबंधित डाटा अनिवार्य रूप से प्रविष्टि करें।
8. कोविड धनात्मक रोगी चिन्हित होने की स्थिति में निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त लिखित निर्देश के अनुसार नगरीय क्षेत्र में एक कोविड धनात्मक रोगी के चिन्हित होने की स्थिति में न्यूनतम 50 मकानों में तथा कोविड धनात्मक रोगियों का क्लस्टर चयनित होने की स्थिति में न्यूनतम 100 मकानों में सर्विलांस तथा Contact Tracing गतिविधि की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में प्रति एक हजार आबादी पर 24 घंटे में दो अथवा अधिक कोविड धनात्मक रोगी चिन्हित होने की स्थिति में सर्विलांस तथा Contact Tracing गतिविधि स्थानीय टीम के द्वारा की जाएगी।
9. पूर्व में दिये गये प्रतिदिन सैंपल लक्ष्य के अनुरूप आर0टी0पी0सी0आर0/TruNat के माध्यम से कोविड–19 संबंधित जाँच अनिवार्य रूप से की जानी है।
10. नियमित रूप से यह भी अनुश्रवण किया जाय कि निजी कोविड अथवा नॉन कोविड चिकित्सालयों में भर्ती रोगियों की सही समय पर जाँच कोविड रोग हेतु की जा रही है तथा कोविड–19 रोगियों का समुचित इलाज की व्यवस्था की जाय। आवश्यकता पड़ने पर निजी अस्पताल में कम से कम कुल बेड का 10 प्रतिशत बेड कोविड–19 रोगियों के लिए चिन्हित कर व्यवस्था करेगें। साथ ही साथ आवश्यकतानुसार ICU तथा भेंटिलेटर बेड कोविड–19 रोगियों के लिए अलग से चिन्हित कर व्यवस्था करना सुनिश्चित करेगें।

कृपया उपरोक्त निदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

22/03/21

(कमल किशोर सोन)
सचिव।

ज्ञापांकः – 122 (HSN)  दिनांकः 22/03/2021

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

22/03/21

(कमल किशोर सोन)
सचिव।

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिषन समिति
स्वास्थ्य चिकित्सा षिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड
नामकुम, राँची।
फोन न0– 0651–2261000,2261856–2261002 मेल आई0डी0–mdnrhmjharkhand@gmail.com

पत्रांक : 136 (HSN) दिनांक : 26.03.21

प्रेषक,

कमल किशोर सोन,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड राज्यान्तर्गत।

विषयः कोविड–19 के प्रसार को रोकने, बचाव, रोकथाम हेतु आगामी पर्व त्योहारों में विशेष सर्तकता बरतने के संबंध में।

संदर्भः पत्रांक सं0 40–3/2020–DM–I (4), भारत सरकार, दिनांक 23 मार्च, **Do No. AS(H)/Misc/2021,Dated-24th March,** 2748(MD), दिनांक–01.12.2020, भारत सरकार के सचिव, स्वास्थ्य का **DO No.Z.28015/50/2021-DM Cell,Dated 20th March 2021**एवं पत्रांक सं0 116(HSN) दिनांक–17.03.2020

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक मे कोविड–19 की रोकथाम हेतु दिनांक 18 मार्च से कोविड समुचित व्यवहार संबंधित अनुपालन हेतु पूरे राज्य में विशेष Mask Checking अभियान चलाया जा रहा है।

झारखण्ड राज्य में Covid–19 संक्रमित मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। कोविड–19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के परिपेक्ष्य में आगामी आनेवाले पर्व/त्योंहारों (होली, सरहुल, शबे–बरात एवं रामनवमी) को ध्यान में रखकर इस संबंध में ससमय कारवाई किया जाना अपेक्षित है जो निम्नांकित है–

1. आगामी पर्व/त्योंहारों (होली, सरहुल, शबे–बरात एवं रामनवमी) में दूसरे राज्यों से अप्रवासी झारखण्ड वासीयों का अपने राज्य में लौटने की संभावना के दृष्टिकोण से उन सभी व्यक्तियों का लक्षण के आधार पर कोविड जाँच यथा संभव आवश्यक है।
2. दूसरे राज्यों (यथा महाराष्ट्र, केरल, मध्यप्रदेश, राजस्थान) से आने वाले व्यक्तियों की लक्षण के आधार पर कोविड–19 की जाँच RT–PCR/TrueNat के माध्यम से करने हेतु एयरपोर्ट, बस स्टेंड तथा Railway Station पर नियमित रूप से नमूना संग्रह तथा जाँच की व्यवस्था की जाय।
3. जिलों के विभिन्न पर्यटक स्थलों में आने वाले आगंतुको का कोविड समुचित व्यवहार अनुपालन के साथ–साथ कोविड–19 का Mass Screening Drive के अंतर्गत लक्षण के आधार पर यथा संभव जाँच अभियान के माध्यम से नमूना संग्रह तथा जाँच की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
4. कोविड–19 श्रृंखला के प्रसार को रोकने हेतु फेस मास्क के उपयोग तथा को कोविड समुचित व्यवहार के अनुपालन की आवश्यकता है। नो मास्क नो इन्ट्री की सख्ती से पालन सुनिश्चित की जाए।
5. सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों के प्रवेश एवं निकास बिन्दुओं पर एवं कॉमन एरिया में थर्मल स्क्रीनिंग, हेण्ड वाश एवं सेनेटाइजर का प्रावधान किया जाय।
6. भीड़ भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन के सामाजिक दूरी (6 फीट यानि दो गज की दूरी) बनाये रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है।
7. पर्यटक स्थलों/सांस्कृतिक/धार्मिक/सार्वजनिक/जन कार्यक्रमों के स्थलों पर विशेष सर्तकता बरतने के दृष्टिकोण से अनिवार्य रूप से Screening की व्यवस्था के साथ सामान्य सुविधाओं एवं मानव सर्म्पक में आने वाले सूची बिन्दु (रेलिंगस, डोर हेण्डल आदि) की स्वच्छता सुनिश्चित की जाये।
8. कोविड–19 संक्रमण को रोकने के लिए 'Test, Trace, Treat' की रणनीति पर कार्य करने की आवश्यकता है।
9. जन समुदाय में "दवाई भी तथा कड़ाई भी" संबंधित मंत्र का प्रचार–प्रसार IEC/BCC के माध्यम से सुनिश्चित किया जाय।
10. भारत सरकार से प्राप्त कोविड–19 से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृप्या उपरोक्त निदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक–यथोक्त।

(कमल किशोर सोन)
सरकार के सचिव।
26/03/21

ज्ञापांकः 136 (HSN) दिनांकः 26.03.21

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।
26/03/21

**Government of Jharkhand**
**Jharkhand Rural Health Mission Society**
**Department of Health, Medical Education & Family Welfare**
**Namkum, Ranchi.**
**Phone No: 0651-2261000, 2261856 & 2261002 Mail ID: nhmjharkhand2018@gmail.com**

Letter No: 94(HSN)

From, Date: 26.02.21

Kamal Kishore Soan,
Secretary,

To

Deputy Commissioners,
Ranchi, Dhanbad, West Singhbum, East Singhbhum and Bokaro.

Subject: Regarding setting up of multiple sample collection points & a TrueNAT testing facility at Hatia, Ranchi, Dhanbad, Bokaro, Chakradharpur, Tata Nagar Railway Stations and Birsa Munda Airport, Ranchi.

Dear All,

With respect to the current developing situation of COVID-19 and analysis of last four weeks data, it has been observed that there has been a continuously increasing trend in the positivity rate of the State of Maharashtra in last four weeks, the number of cases reported this week have jumped by 81% as compared to last week, moreover the weekly positivity has shot up to more than 9% this week. Moreover, in the State of Kerala, the number of weekly cases reported has plateaued to an average of approx. 36094, suggesting very high burden. The positivity rate has marginally declined; however, it is still very high.

Proper monitoring of passenger coming from outside the State is required. In this context sample collection of only symptomatic or patients coming from State of Maharashtra & State of Kerala may be considered in this regard by district administration Ranchi in coordination with Airport Director, Birsa Munda Airport, Ranchi. In addition to setting up a testing and sample collection facility, Ranchi airport must share the details of travelers travelling from outside the country and from the State of Maharashtra & Kerala on daily basis on idspjharkhand3@gmail.com and to Ranchi administration on dc-ran@nic.in for surveillance and testing purpose. Similar efforts may be taken with respect to passengers coming by other mode of transportation including railways in the district mentioned above.

Therefore, you are kindly requested to ensure the following:

1. Setup multiple sample collection points and a TrueNAT testing space (Consisting of 4-5 TrueNAT machines) at above mentioned railway stations & Ranchi Airport.
2. Passengers coming via direct trains, originating at or passing from Maharashtra and Kerala may be scanned for temperature using a thermal gun at the above-mentioned stations for any COVID-19 symptoms.
3. For any symptomatic or suspected case of COVID-19 at the above-mentioned stations and Ranchi Airport, sample for COVID-19 testing may be collected.
4. Deploy sufficient testing, sample collection and contact tracing teams for any positive case detected.
5. Please ensure that passengers are not harassed and appropriate support from the railways may be taken in this regard.

With regard to this public health emergency, I hope that you will take all appropriate steps and coordinate the necessary response.

Yours sincerely,

26/02/2021

(Secretary to the Govt)

Memo No: 94(HSN) Date: 26.02.21

1. Secretary, Dept. of Transport, GoJ. for information.
2. Secretary, Disaster Management Division, Dept of Home, Jail and Disaster management, GoJ. for information.
3. Airport Director, Birsa Munda Airport, Ranchi for information and necessary action
4. Divisional Railway Manager CKP, Hatia & Dhanbad for information & necessary action.
5. Concern Civil Surgeons for information and necessary action.
6. State Surveillance Officer, NHM for information.

(Secretary to the Govt)

Scanned with CamScanner

झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड
नामकुम, राँची।
फोन न0— 0651—2261000,2261856—2261002 मेल आई0डी0—nrhmjharkhand2018@gmail.com

पत्रांक :— 542 (MD) दिनांक :— 20.02.21

प्रेषक,
अभियान निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड

सेवा में,
सभी सिविल सर्जन
झारखण्ड।

विषयः— दूसरे देशों/राज्यों से आये हुए व्यक्तियों के COVID-19 जॉच तथा सघन निगरानी के संवंध में।

महाशय/महाशया,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि विगत दिनों में कोविड Virus के नये किस्म के आगाज हुए हैं, पिछले 14 दिनों में United Kingdom, Brazil, South Africa से भारत आए हुए प्रवासियों जो झारखण्ड राज्य के पते पर आए हुए हैं उन्हें अपने जिले से संबंधित यात्रियों से तत्काल सम्पर्क कर उनके परिवार एवं उनके साथ रह रहे पारिवारिक सदस्यों का यथा संभव RT-PCR के माध्यम से कोविड—19 जॉच अगले 24 घण्टे में सुनिश्चित कराने की व्यवस्था की जाए।

विदित हो कि दूसरे राज्यों यथा केरल, महाराष्ट्र, तेलांगाना एवं राजस्थान आदि राज्यों में कोविड 19 मरीजों के मामले में वृद्धि हुई है। कोविड 19 के प्रसार, प्रार्दुभाव, बचाव तथा रोकथाम हेतु सतर्क रहने की आवश्यकता है। अतः इस सन्दर्भ में निम्नांकित कार्य किये जाने हैं—

1. दूसरे देशों/राज्यों से आये हुए व्यक्तियों की Covid-19 के जॉच की व्यवस्था Ranchi Airport तथा सभी Railway Station पर RT-PCR अथवा TruNat के माध्यम से Sample Collection व जॉच की व्यवस्था की जाए।
2. पुर्व में दिये गये Covid-19 के जॉच (RT-PCR & TruNat) का प्रतिदिन लक्ष्य के अनुसार जॉच में तेजी लाया जाए। भारत सरकार के मार्गदर्शिका के अनुसार अपने जिले में कुल जॉच का 70% जॉच RT-PCR के माध्यम से किया जाना है।
3. भारत सरकार के निर्देशानुसार Covid 19 के एक मरीज +ve पाये जाने पर उनके विरूद्ध 30 Contacts की पहचान तथा जॉच सुनिश्चित किया जाना है।
4. पत्रांक संख्या 294 (MD) दिनांक 21/01/2021 द्वारा निर्गत Standards operating Procedure for Epidemiological Surveillance & Response in contexts of new variant of SARS-COV-2 virus detected in United Kingdom में संबंधित मार्गदर्शिका का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाए।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त दिशा निर्देश के अनुपालन से कृत कारवाई संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

(ह०) 20/2/21
अभियान निदेशक

ज्ञापांक :— 542 (MD) दिनांक :— 20.02.21

प्रतिलिपि—

1. सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. सभी जिला नोडल पदाधिकारी, COVID-19 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ह०) 20/2/21
अभियान निदेशक

Scanned with CamScanner

**GOVERNMENT OF JHARKHAND**
**Home, Prison & Disaster Management Department**
(Disaster Management Division)

## ORDER

No-5/Ra.Aa.Mo.Ni.(COVID-19)-4/2020Aa.Pra.-2159.../ Ranchi, Dated-17.7.2020

Whereas, the Ministry of Home Affairs has issued lockdown orders vide Order dated 24.03.2020, Order dated 15.04.2020, Order dated 01.05.2020,Order dated 17.05.2020, Order dated 30.05.2020 and Order dated 29.06.2020 due to prevailing COVID 19 situation;

Whereas the Ministry of Health & Family Welfare vide Office Memorandum dated 24.05.2020 has issued guidelines for domestic travel and International travel;

Now therefore, in exercise of the power conferred under section 22 (2) (h) of the Disaster Management Act, 2005 and in accordance with the provisions of clause 6 of Ministry of Home Affairs Order dated 29.06.2020 the undersigned hereby issues directions to all the Department of Government of Jharkhand and all the District Administrations for the strict implementation of guidelines for domestic travel issued by Ministry of Health & Family Welfare vide Office Memorandum dated 24.05.2020, with respect to travel into the state (air, rail and road) and the following protocol with regards to quarantine:

1. Every person coming/returning to Jharkhand by air/rail/road shall register his/her personal details on the website of Government of Jharkhand(www.jharkhandtravel.nic.in) preferably before his/her departure for Jharkhand and in any case not later than the day of arrival in the state of Jharkhand.

2. Every person coming/returning to Jharkhand by air/rail/road shall stay in home quarantine for a period of 14 days observing guidelines issued by Department of Health & Family Welfare and Medical Education in this regard.

3. The district administration shall take all necessary measures to ensure the compliance of above directions and all the instructions issued from time to time with regard to home quarantine.

4. In case the district administration comes to the conclusion that the conditions at the home of the person are not appropriate for home quarantine, or the concerned person is not following the guidelines of home quarantine, then the district administration is authorized to put the person in institutional/paid quarantine.

5. Above directions shall not apply to drivers/helpers of commercial vehicles involved in cargo movement, personnel of airlines operating in/out of the state, people passing through the state during interstate movement and Government of India (including its undertakings) officials on official duties, but they shall comply with the guidelines communicated vide Ministry of Health and Family Welfare Office Memorandum dated 24.05.2020 pertaining to domestic travel.

6. Apart from the exemption mentioned in clause 5, exemption to the 14 day quarantine order may be granted by District Magistrate only as an exception, on application, when the person (not a resident of Jharkhand and fully asymptomatic) had come to Jharkhand only for business/official purpose and is travelling back to his/her home state within reasonable time. The persons so exempted shall comply with the guidelines communicated vide Ministry of Health and Family Welfare Office Memorandum dated 24.05.2020 pertaining to domestic travel.

7. Apart from the exemption mentioned in clause 6, exemption to the 14 day quarantine order may be granted by State Government on a case to case basis.

8. Railways and Civil aviation authorities in the state shall share the passenger manifest in the format as desired by Secretary, Department of Transport and Civil Aviation.

9. Any person violating these quarantine directions will be liable to be proceeded against as per the provisions of Section 51 to 60 of the Disaster Management Act 2005, besides legal action under Section 188 of the IPC and other legal provisions as applicable.

10. The instructions communicated vide order number 1120 dated 24.05.2020 and letter number 612 dated 14.05.2020 pertaining to quarantine of interstate travellers is superseded and clause 7 of state directives communicated vide order number 1747 dated 26.06.2020 of undersigned is deleted.

This order shall come into effect from 20.07.2020.

17/7

**(Sukhdev Singh)**
Chief Secretary

Memo No.-5/Ra.Aa.Mo.Ni.(COVID-19)-4/2020Aa.Pra.-2159/Ranchi, Dated-17.7.2020

Copy to : All Additional Chief Secretary/ Director General of Police/ Principal Secretary/ Secretary/ Divisional Commissioners/ Deputy Commissioners/ SSP/ SP for information & necessary action.

17/7

Chief Secretary

Memo No.-5/Ra.Aa.Mo.Ni.(COVID-19)-4/2020Aa.Pra.-2159/Ranchi, Dated-17.07.2020

Copy to: Principal Secretary to Honorable Chief Minister for information.

Chief Secretary

Memo No.-5/Ra.Aa.Mo.Ni.(COVID-19)-4/2020Aa.Pra.-2159/Ranchi, Dated-17.7.2020

Copy to : Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India/ Secretary, Ministry of Civil Aviation, Government of India/ Secretary, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India, New Delhi for information.

17/7

Chief Secretary